

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	29-12-23	पत्रावली पेश हुई। यकुलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य उपस्थित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक. 05/2/24 को पेश हो।
05/2/24		पत्रावली पेश हुई वकील उमयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का बहल बुरेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 26/02/24 को पेश हो। <u>मनी</u>
26/2/24		पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब के अभाव में बहल करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 08/4/24 को पेश हो।
8/4/24		पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वाले बहल बुरेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 22/04/24 को पेश हो। <u>मनी</u>
22/4/24		पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वाले बहल बुरेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 26/4/24 को पेश हो। <u>मनी</u>
26/4/24		पत्रावली कार्य र की जा को पेश... यकुलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य उपस्थित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 08/6/24 को पेश हो।
18/06/24		पत्रावली पेश हुई। उमयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उमयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर बहल की गई। उमयपक्ष अधिवक्ता की बहल सुनी गई। <u>मनी</u>

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी


राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

64/4 रकबा 0.0432 हेक्टर में खातेदारी के छूटे दुरे हिस्से को द्वाबि दुरे राजस्व अभिलेख में अमल करामद करने की कार्यवाही करें। अनुमोदित विभाजन की प्रति तहसीलदार बस्सी को भिजवाई जावे। डिफ्री पचा जारी हो। इस आशय की तद्वरीर जारी हो।

पत्रावली कैसल सुमार होकर बाद तकमील हाथिल कपतर होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय अज दिनांक 18/06/2024 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण